संख्या-32/2015/1206/38-4-15-09(बजट)/2013

प्रेषक,

उमा कान्त मिश्र,
उप सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0 प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक 18 सितम्बर, 2015**

विषयः- इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 में वित्तीय वर्ष-2014-15 की केन्द्राश के सापेक्ष समतुल्य मैचिंग राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति (75 प्रतिशत-25 प्रतिशत)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-94/सम्प्रेक्षा/इं0आ0यो0/2014-15, दिनांक-26 अगस्त, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति दिये जाने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके पत्र दिनांक 26 अगस्त,2015 में किये गये प्रस्तावानुसार वित्तीय वर्ष-2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि रू0-18,43,13,60,000 करोड़ मे से केन्द्रांश की धनराशि रू0-38147.230 लाख एवं समतुल्य राज्यांश की धनराशि **रू0-12715.744 लाख** अर्थात कुल धनराशि **रू0-50862.974 लाख** (रूपये पाँच अरब आठ करोड़ बासठ लाख सत्तानवे हजार चार सौ मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः-

(1)- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का उपयोग अनुमन्य धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा। धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुये निर्माण कार्यो की गुणवत्ता से सन्तुष्ट हो।

(2)- स्वीकृत की जा रही धनराशि को किसी भी दशा में पी0एल0ए0 में जमा नहीं किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का संग्रहण/व्यय आदि के सम्बन्ध में इन्दिरा आवास योजना के दिशा-निर्देश के प्राविधानों के तहत वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक-21-03-2012 में निर्दिष्ट व्यवस्थानुसार कार्यवाही/व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

(3)- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का वित्तीय वर्ष 2014-15 में चयनित इन्दिरा आवासों/कच्चे आवासों को पक्का आवासों के उच्चीकृत/ निर्माण के लिए व्यय किया जायेगा। इसके अतिरिक्त धनराशि का व्यय किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात ही किया जायेगा।

(4)- समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5)- इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/ लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई भी धनराशि अवशेष बचती है तो इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित किया जायेगा।

(6)- तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक- "4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाये-0101-इन्दिरा आवास योजना (के.75/रा.25-के+रा) 24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

(7)- इस सम्बन्ध में यह भी अनुरोध है कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार फॉट सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्राप्त केन्द्रांश/राज्यांश का आहरण किया जा सके।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के अशासकीय पत्र संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनाक-30 मार्च, 2015 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमा कान्त मिश्र)
उप सचिव।

संख्या-32/2015/1206(1)/38-4-2015, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी।
3- अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
4- सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित जनपद के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
9- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
10- बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
11- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
12- गार्डबुक।

आज्ञा से,

(उमा कान्त मिश्र)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in